पारिभाषिक शब्दावली

राजनैतिक

- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):**
  निष्क्रिय इच्छामृत्यु से आशय, लम्बी बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति के जीवन समर्थन उपकरणों को जानबूझकर हटा लेने से है ताकि उस व्यक्ति को कष्टदायक जीवन से मुक्ति मिल जाए।
  नोट: 11 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट की संविधन पीठ ने 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' को मान्यता दे दी गई। इस मामले में कहा गया था कि कोर्ट की कड़ी निगरानी में असाधरण परिस्थितियों में 'Passive Euthanasia' दिया जा सकता है।
- **सक्रिया इच्छामृत्यु (Active Euthanasia):**
  सक्रिय इच्छामृत्यु से आशय, लम्बी बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिये कुछ किया जाए जैसे-उसे जहर देकर कष्टदायक जीवन से मुक्ति दे दी जाए।
  नोट: भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु का कोई स्थान नहीं है।
- **इच्छामृत्यु की वसीयत (Living Will):**
  यह वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है, जिससे आशय है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा स्वस्थ रहते ही पहले से यह घोषित कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में जीवित रहना चाहेगा अथवा नहीं जब वह गंभीर रूप से बीमार हो तथा जीवन समर्थन ;स्पमि नचचवतजद्ध उपकरणों के बिना शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाना सुनिश्चित हो। इच्छामृत्यु की वसीयत उस ही स्थिति में प्रभावी होगी, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वयं अभिव्यक्त नहीं कर सकता।
  नोट: चीपफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने 'इच्छामृत्यु की वसीयत' के सन्दर्भ में कहा कि पीठ यह भी देखेगा कि यह वसीयत मजिस्टेऊट के सामने दर्ज हो, जिसमें दो स्वतंत्रा गवाह भी हों। कोर्ट इस मामले में पर्याप्त सुरक्षा मानक तय करेगा।
- **दर्द निवारक दवाओं की लत का संकट (Opioid Crisis):**
  अमेरिका में दर्द निवारक ओपिऑइड दवाओं के सेवन से रोजाना 140 लोगों की मौत हो जाती है तथा वर्ष 2016 में अमेरिका में ओपिआइड दवाओं के सेवन से मरने वालों की संख्या 59 हजार से अधिक थी। यह संख्या बंदूक या मोटर वाहन से मरने वालों की संख्या से बहुत अधिक है। विश्व में किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका में दर्द निवारक ओपिऑइड दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या सबसे जयादा है।
  नोट: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 26 अक्टूबर 2017 को 'Opioid Crisis' को राष्ट्रीय शर्म करार देते हुए इसे 'जनस्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया। ओपिऑइट संकट को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 'संघीय धन' का त्वरित आवंटन सुगम हो जायेगा, जिसका प्रयोग विशेषज्ञों की भर्ती करने व लोगों के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का इस्तेमाल करने में किया जायेगा।

आर्थिक

- **एंजेल निवेशक (Angel Investor):**
  एंजेल इन्वेस्टर वे लोग होते हैं, जिनके पास एक निश्चित धनराशि होती है, जिसे वे किसी नए स्टार्ट-अप में निवेश करना चाहते हैं। वह कई तरह से समूहों में काम करते हैं, जिसमें निवेश करने से पहले वह अलग-अलग आवेदनों पर विचार करते हैं। पूंजी लगाने के अलावा वह स्टार्ट-अप में सलाह देने और मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं। एंजेल निवेशकों ने कई नामी कम्पनियों की शुरूआत में मद्द की है। इनमें गूगल, याहू, अलीबाबा जैसे नाम शामिल हैं। निवेश की यह वैकल्पिक व्यवस्था आमतौर पर कम्पनी की शुरूआती स्थिति में मद्द करती है। इसमें निवेशक 30: तक इक्विटी की उम्मीद करते हैं। वह अच्छे और ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेने को तरजीह देते हैं। ये निवेशक तब साथ आते हैं जब आपके पास बस एक अच्छा बिजनेस प्लान होता है। ये शुरूआती पूंजी देते हैं और दिशा दिखाते हैं। ये किसी प्रकार के व्यापार में नहीं, बल्कि बिजनेस प्लान में निवेश करते हैं एंजेल निवेशकों ने अनेक व्यापार में सहयोग किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ई-कामर्स, खानपान या मार्केटिंग का काम हो।

पिछले दो सालों में इनका कापफी निवेश मूलभूत सुविधओं जैसे- सौर ऊर्जा, खेती व खाद्य पदार्थों में बढ़ा है। इनके निवेश का दायरा 10 से 50 लाख तक होता है।

- **गैर निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (Non Performing Assets):**
एनपीए से आशय बैंकों द्वारा वृहद परियोजनाओं के लिए प्रदत्त उन ऋणों से है, जिन पर ब्याज और मूलधन की किस्त एक निश्चित समयावधि् के पूर्ण होने के उपरान्त भी बैंकों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन परिसम्पत्तियों को अनर्जक अस्तियाँ या तनावग्रस्त सम्पत्तियां (Stressed Assets) की संज्ञा दी जाती है।
एनपीए को 3 प्रकार की सम्पत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है:-
1. घटिया परिसम्पत्तियाँ (Sub-Standard Assets)
2. संदेहात्मक परिसम्पत्तियाँ (Doubtfull Assets)
3. हानि या क्षति परिसम्पत्तियाँ (Loss Assets)

1. **घटिया परिसम्पत्तियाँ:** जब बैंकों द्वार वितरित ऋणों के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का पुनर्भुगतान 90 दिनों से अध्कि किन्तु 12 माह से कम अवधि् से बकाया पड़ा है, तो ऐसे ऋणों को घटिया परिसम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है।
2. **संदेहात्मक परिसम्पत्तियाँ:** जब कोई ऋण हालांकि एक साथ तक घटिया परिसम्पत्तियों के रूप में सूचीबद्ध रहा हो, किन्तु उसके वसूल होने की संभावना है और उसे अभी तक हानि या क्षति परिसम्पत्तियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया है, सन्देहात्मक परिसम्पत्तियों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सन्देहात्मक परिसम्पत्तियों में अधिकांशत: उन बीमार या रूग्ण औद्योगिक इकाईयों द्वारा लिए गए ऋणों में सम्मिलित किया जाता है, जिनको (Board for Industrial Finance and Reconstruction (BIFR) को सन्दर्भित कर दिया गया है और इस बोर्ड की ओर से इन इकाइयों को वित्तीय पैकेज प्राप्ति की पूर्ण सम्भावना है।
3. **हानि या क्षति परिसम्पत्तियाँ:** सन्देहात्मक परिसम्पत्तियाँ जिनके मिलने अर्थात् पुनर्भुगतान की सभी सम्भावनाएं समाप्त हो जाती है, हानि या क्षति परिसम्पत्तियाँ कहलाती हैं।

- **काला धन (Black Money):**
अवैध् गतिविधियों से अर्जित धन जिस पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, काला धन कहलाता है। कालेधन का कोई लेखा-जोखा नहीं होता।

- **समानांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy):**
काली अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह नाम इसके वृहद आकार के दृष्टिगत दिया गया है।

- **कर स्वर्ग देश (Tax Haven Economy)**
कर स्वर्ग देश वे देश हैं, जहाँ कर के संदर्भ में अति उदार कानून होते हैं। यहां धन के स्वामित्व तथा धन के स्रोत की गोपनीयता बनी रहती है तथा कर दर या तो शून्य या काफी कम होती है।

- **शेल कम्पनी/लेटर बाक्स कंपनी:**
शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, जो कानूनी तौर पर तो सामान्य व्यापार कर रही होती है, परन्तु वास्तव में वह एक खाली खोल की तरह होती है। यह केवल धन प्रबंधन करती है। इसका प्रयोग स्वामित्व और धन स्रोत को छिपाने हेतु किया जाता है। इस कंपनी को लेटर बाक्स कम्पनी भी कहते है, क्योंकि यह कंपनी एक पते के अलावा कुछ भी नहीं होती है।

- **आफशोर फाइनेंशियल सेंटर:**
ऐसे वित्तीय केन्द्र जो देश की सीमा से बाहर हो, आफशोर फाइनेंशियल सेंटर कहलाते हैं। इन्हें कर चोरों की पनाहगार कहा जाता है। आमतौर पर ये छोटे द्वीपीय देशों में होते हैं। इनकी बैंकिंग गोपनीयता अच्छी होती हे और लेन-देन पर लगने वाला कर बहुत कम होता है। यहाँ की वित्तीय सेवाओं को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।

- **बियरर शेयर/बांड:**
ऐसे शेयर/बांड जिन पर मालिकाना हक उसे धरित करने वालो का होता है, बियरर शेयर/बांड कहलाते हैं। चूंकि इनके माध्यम से बड़ी राशि का हस्तांतरण गोपनीय रूप से किया जा सकता है। इस कारण कालेधन के स्थानांतरण में इनका बहुत प्रयोग होता है।

- **मनी लांड्रिंग:**
मनी लांड्रिंग कालेधन को सफेद (वैध) बनाने की एक कला है। इसके तहत अवैध स्रोतों से कमाए कालेधन को वैधता प्रदान की जाती है।

- **राउंड ट्रिपिंग:**
स्रोत देश का धन जब किसी विदेशी क्षेत्र से घूमकर एफडीआई के रूप में पुन: स्रोत देश में वापस आए तो उसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं।

- **फिशिंग (Phishing)**
कई बार हमें बैंकों के नाम से फर्जी ई-मेल संदेश मिलते हैं, जिनमें असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट पर लॉग इन करने और अपने क्रेडिट कार्ड की सूचनाएं देने के लिए कहा जाता है। इस तरह से ये धेखेबाज हमारी सूचनाए चुरा लेते हैं।
बचाव: अपने बैंकों की वेबसाइट के Add. को ठीक से जाँचें अर्थात वेबसाइट के URL (वेबपता) की शुरूआत https:// से होती है और तालेनुमा चित्र बना होता है।

- **स्किमिंग (Skimming):**
जब हम अपने कार्ड को स्वैप मशीन पर स्वाइस करते हैं तो धेखेबाज कर्मचारी छोटी इलेक्ट्रानिक मशीनों के जरिये हमारे क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक पट्टी के भीतर मौजूद जानकारियाँ चुरा लेते हैं और कार्ड की कॉपी बना लेते हैं।
बचाव: कार्ड स्वाइप करते समय सावधनी बरतें/सतर्क रहें।

- **आइडेन्टिटी थेफ्ट (Identify Theft):**
  किसी भी तरह से जब धेखेबाजों को हमारे कार्ड की जानकारी मिल जाती है, तो वे बैंक से आग्रह करते है कि हमारा डाक का पता बदल दें। पता बदलने के बाद वे कार्ड खो जाने की शिकायत करते हैं और नया कार्ड इश्यू करवा लेते हैं।
  बचाव: सरकारी स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए साइबर क्राइम सेल भी बनाए गए हैं।
- **ब्लैक हैट हैकर (Black Hat Hacker):**
  डेटा चुराने या सिस्टम को नुकसान पहुँचाने वाले हैकर ब्लैक हैट हैकर कहलाते है। सबसे खतरनाक ब्लैक हैकर वे होते है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्षों तक किसी कम्प्यूटर की नगरानी करते रहते है।
- **व्हाइट हैट हैकर (White Hat Hacker):**
  किसी अपराधिक उद्देश्य के बिना केवल जिज्ञासावश किसी कम्प्यूटर की छानबीन करने वाले को व्हाइट हैट हैकर कहा जाता है।

भौगोलिक

- **भौगोलिक संकेत (Geographical Indication):**
  कुछ ऐसी वस्तुए होती है, जिसमें गुणवत्ता उस स्थान की भौगोलिक स्थिति की विशेष परिस्थितियों के कारण होती है और उत्पादन का स्थान बदलने पर वस्तु की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। अत: इस तरह के किसी खास उत्पाद की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए यह जरूरी है कि ग्राहकों को उस वस्तु के उत्पादन की जगह के बारे में बताया जाये। ग्राहकों को यह जानकारी 'भौगोलिक संकेत' के द्वारा दी जाती है। भौगोलिक संकेत GI वस्तु के स्थान/उद्गम/निर्माण स्थल/स्त्रोत की जानकारी उपलबध् कराता है।
  भौगोलिक संकेत दो प्रकार के होते हैं:
  (i) भौगोलिक नाम पर आधरित (GI)
  (ii) गैर-भौगोलिक नाम पर आधरित (GI)
  नोट: भौगोलिक नाम पर आधरित GI का उदाहरण है दार्जिलिंग की चाय, शैंपेन (फ्रांस का एक प्रान्त का नाम है और यहाँ उगने वाले अंगूर से शैंपेन बनायी जाती है) आदि है। जबकि गैर भौगोलिक नाम पर आधरित जीआई का उदाहरण है अल्फांसो आम, बासमती चावल आदि।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- **आभासी पोस्टमार्टम (Virtual Postmortem)**
  एम्स में रेडियोलाजी विभाग की मद्द से पूरे शरीर का डिजिटल एक्सरे लिया जाता है। इससे पूरे शरीर की चीरफाड़ करने के बजाय डिजिटल एक्सरे तस्वीर से उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और कम्प्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए केवल उसी स्थान की सूचना ली जायेगी जहाँ पर चोट है। इस प्रक्रिया में शव को एक्सरे मशीन में लेकर उसका परीक्षण करना होता है। कम्प्यूटर स्क्रीन पर चोट के हिस्से की गहराई 'हाई रिजोल्यूशन' में दिखाई देते हैं।

  लाभ:
  - पोस्टमार्टम के कार्य में तेजी
  - मृतशरीर के साथ बेहतर व्यवहार
  - अन्तिम क्रिया के लिये शव की स्थिति ठीक
  - अपराधियों को पकड़ने की कार्यवाही में तीव्रता
  - पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में विश्वसनियता
  - पोसमार्टम के रिकार्ड सुरक्षित होंगे, जो भविष्य में केस को सुलझाने में सहायक होंगे।
- **हरित इमारत:**
  ऐसी इमारत जिसके डिज़ाइन से लेकर निर्माण और रख-रखाव तक में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसे हरित इमारत कहा जाता है। ये इमारतें बिजली, पानी और अन्य संसाधनों की अधिक से अधिक बचत कर प्रदूषण की रोकथाम में मद्दगार होती है। इन बिल्डिंग्स को ग्रीन कंस्ट्रक्शन या सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के नाम से भी जाना जाता है।
- **भारत में हरित इमारत:**
  भारत में हरित इमारतों की शुरूआत वर्ष 2003 में हैदराबाद के CII-(Confederation of Indian Industries) सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के निर्माण के साथ हुआ और तब से देश में हरित इमारतें बनाने का सिलसिला तेज हो गया। आज देश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख वर्ग मीटर का हरित इमारत क्षेत्रा मौजूद है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) के अनुसार-'आज दुनिया में बिजली की 40 प्रतिशत खपत और कार्बन डाईआक्साइड के 24: उत्सर्जन के लिये परम्परागत इमारतें जिम्मेदार है।
- हरित इमारतों के मामले में चीन और कनाडा के बाद भारत का तीसरा स्थान है।
- चीन और भारत में भीषण प्रदूषण होने के बावजूद भी हरित इमारतों को बनाने के काम को तेजी से आगे बढ़ाया है।
- भारत हाल के वर्षों में ऐसी इमारतों के निर्माण को वरीयता देता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिकतम आता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है।
- **वायरस, स्पाईवेयर की-लॉगिंग (Virus,Spyware Key, Login)**
  हमारे कम्प्यूटर में आ घुसने वाले कुछ खतरनाक वायरस हमारी हर गतिविधि् पर नजर रखते हैं, जब हम ऑनलाइन भुगतान करते समय अपने खाते की सारी जानकारियां मुहैया कराते हैं, तो वे चुपचाप इन्हें रिकार्ड कर मेल के जरिये अपने कंट्रोलरों तक पहुंचा देते हैं।
  बचाव: अपने कम्प्यूटर में अच्छा Anti Virus डलवाये और समय-समय पर अपना ATM का पासवर्ड बदले और काम खत्म होने के बाद Log Out अवश्य करें।

सामाजिक

- **क्रैकर दिव्यांगत (Disability):**

  अपराधिक या गलत इरादों से कार्य करने वाले ब्लैक हैट हैकर्स के लिए एक और शब्द क्रैकर प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांगों की आबादी 2.68 करोड़ थी जो आस्ट्रेलिया व पिफ्नलैण्ड की कुल आबादी के लगभग बराबर है। वर्ष 2011 तक केवल 7 श्रेणियों को दिव्यांगत को दायरे में रखा जाता था परन्तु दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के नये कानून में 21 श्रेणियों को दिव्यांग माना गया है अर्थात् दिव्यांग जन की वास्तविक आबादी और ज्यादा हो जायेगी। दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही प्रमुख योजनाये है-सुगम्य भारत अभियान (3 दिसम्बर, 2016), सुगम्य पुस्तकालय (अगस्त, 2016) व स्वालंबन (2015)

- **हौसला 2017:**

  केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 14 नवम्बर (बाल दिवस) से 20 नवम्बर (अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के मध्य 'बाल अधिकार सप्ताह' (हौसला 2017) मनाया गया।

  महत्वपूर्ण तथ्य: बाल अधिकार सप्ताह मनाने का उद्देश्य बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutution-CCI) में रह रहे बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका प्रदान करना था। इस सप्ताह का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहाँ विभिन्न प्रतियोगिता में विजित होने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया।

- **शी-बाक्स:**

  7 नवम्बर, 2017 को केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गॉधी ने सरकारी तथा निजी संगठनों, कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने के लिए Shee-Box online शिकायत प्रबन्धन प्रणाली की शुरूआत की गयी।

  महत्वपूर्ण तथ्य: शी-बाक्स की शुरूआत कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है। [Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013]